न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/362** दायर दिनाँक **18.12.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मजीद खाँ पुत्र चाँद खाँ, उम्र–60साल, जाति–शेरानी आबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. चाँद खाँ पुत्र मीर खाँ, उम्र–92साल, 2. अजीज खाँ पुत्र जलाल खाँ, उम्र–65साल, 3. बिलाल खाँ पुत्र जलाल खाँ, उम्र–62साल, 4. मोहम्मद रफीक पुत्र जलाल खाँ, उम्र–48साल, 5. बिसमिल्ला पत्नी जलाल खाँ, उम्र–90साल, 6. जमील खाँ पुत्र चाँद खाँ, उम्र–62साल, 7. छोटु खाँ पुत्र चाँद खाँ, उम्र–58साल, 8. सुल्तान खाँ पुत्र चाँद खाँ, उम्र–50साल, समस्त,जाति–शेरानी मुसलमान, निवासी–शेरानी आबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. ग्राम पंचायत, छोटी खाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. यूको बैंक, शाखा–शेरानी आबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 11. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित :–

1. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री नरेन्द्रसिंह, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 04, 06 ता 08 की ओर से।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017/362
दायर दिनाँक 18.12.2017, निर्णय दिनाँक 29.12.2017
मजीज खाँ बनाम् चाँद खाँ, वगैरा।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 29.12.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 एक ही परिवार से हैं। खेत खसरा नम्बर 563 रकबा 30.08 बीघा, वाकै शरहद किशनपुरा व खेत खसरा नम्बर 24 रकबा 24.04 बीघा, खेत खसरा नम्बर 145 रकबा 47.07 बीघा, खेत खसरा नम्बर 336 रकबा 21.16 बीघा, शरहद डाबगाँव में स्थित है। उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खतौनी नकल पेश है।

प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 के पिता व पति दौनों सगे भाई थे तथा मौके पर कब्जाकाश्त अनुसार बन्टवारा किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 01 की उम्र करीबन 92 वर्ष है तथा प्रतिवादी संख्या 01 अपने एक पुत्र के ही नाम करवाना चाहता है। उक्त खसरान् की भूमि पैतृक है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 01 तथा प्रतिवादी संख्या 06 ता 08 की समान हिस्सेदारी है।

वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी मे अवश्य ही दर्ज है मगर वादी व प्रतिवादीगण के बीच मौखिक बन्टवारा हो चुका है तथा इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण वर्तमान समय में भी उपर्युक्त खसरान् की भूमि में काबिजकाश्त है। उक्त मौखिक बन्टवारा निम्नानुसार है:–

(क) <u>शरहद किशनपुरा में खेत खसरा नम्बर 563 रकबा 30.08 बीघा का बन्टवारा:–</u>

वादी मजीद खाँ रकबा 15 बीघा तथा प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 के रकबा 15.04 बीघा व प्रतिवादीगण संख्या 09 के0.04 बीघा नजरीनक्शा अनुसार बन्ट में है।

(ख) <u>शरहद डाबगाँव में खेत खसरा नम्बर 22 रकबा 24.04 बीघा का बन्टवारा:–</u>

प्रतिवादी संख्या 08 सुलतान खाँ के सम्पूर्ण बन्ट में है।

(ग) <u>शरहद डाबगाँव में खेत खसरा नम्बर 145 रकबा 47.07 बीघा का बन्टवारा:–</u>

वादी मजीद खाँ के पूर्व दिशा में रकबा 23.14 बीघा व पश्चिमी दिशा में प्रतिवादी संख्या 01 चाँद खाँ के रकबा 23.13 बीघा बन्ट में है।

(घ) <u>शरहद डाबगाँव में खेत खसरा नम्बर 336 रकबा 21.16 बीघा का बन्टवारा:–</u>

प्रतिवादी संख्या 07 छोटु खाँ के सम्पूर्ण बन्ट में आया हुआ है।

प्रतिवादी संख्या 05 की सामाजिक रीति–रिवाज के अनुसार हक अदा कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 06 जमील खाँ को

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

शरहद डाबगाँव के काँकड़ में रकबा 41 बीघा जमीन बन्ट में देने से इनका नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे।

वादी अपने बन्ट व कब्जा की उपर्युक्त भूमि में कदीम से काश्त करता आया है। दिनाँक 13.12.2017 को प्रतिवादीगण ने वादी को एलानियाँ धमकी दी कि उक्त खसरा नम्बर की भूमि का बैचाण किसी भू–माफिया को कर देंगे। यदि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि का बिना बन्टवारा कराये ही बैचाण कर दिया तो वादी को अपार हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से होना सम्भव नहीं होगा।

प्रतिवादी संख्या 09 ग्रामपंचायत के रकबा 04 बिस्वा भूमि होने से व प्रतिवादी संख्या 10 के, प्रतिवादी संख्या 04 मोहम्मद रफीक के द्वारा के.सी.सी. लेने से तथा प्रतिवादी संख्या 11 तथा तहसीलदार डीडवाना आवश्यक पक्षकार होने से इस वाद मे पक्षकार बनाये गये है। यह वाद किसी सरकारी भूमि बाबत् नहीं है, आपसी भाई बन्टवारे का विवाद होने से दो माह की अवधि का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है।

बिनाय दिनाँक 13.12.2017 को प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का बैचाण करने की धमकी देने एवं दिनाँक 13.12.2017 को खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने पर पैदा हुई व हो रही है।

प्रार्थना वादी है कि–

(क) <u>शरहद किशनपुरा में खेत खसरा नम्बर 563 रकबा 30.08 बीघा का बन्टवारा</u>:–

वादी मजीद खाँ के रकबा 15 बीघा तथा प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 के रकबा 15.04 बीघा व प्रतिवादीगण संख्या 09 के 0.04 बीघा नजरीनक्शा अनुसार बन्ट में रखी जावे।

(ख) <u>शरहद डाबगाँव में खेत खसरा नम्बर 22 रकबा 24.04 बीघा का बन्टवारा</u>:–

प्रतिवादी संख्या 08 सुलतान खाँ के सम्पूर्ण बन्ट में रखी जावे।

(ग) <u>शरहद डाबगाँव में खेत खसरा नम्बर 145 रकबा 47.07 बीघा का बन्टवारा</u>:–

वादी मजीद खाँ के पूर्व दिशा में रकबा 23.14 बीघा व पश्चिमी दिशा में प्रतिवादी संख्या 01 चाँद खाँ के रकबा 23.13 बीघा बन्ट में रखी जावे।

(घ) <u>शरहद डाबगाँव में खेत खसरा नम्बर 336 रकबा 21.16 बीघा का बन्टवारा</u>:–

प्रतिवादी संख्या 07 छोटु खाँ के सम्पूर्ण बन्ट में रखी जावे।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 05 की सामाजिक रीति–रिवाज के अनुसार हक अदा कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 06 जमील खाँ को शरहद डाबगाँव के काँकड़ में रकबा 41 बीघा जमीन बन्ट में देने से इनका नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे।

नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे।

वादी का वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 03, 05, 09 ता 11 के बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 04, 06 ता 08 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री मोहम्मद शरीफ ने की है तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री नरेन्द्रसिंह ने की है। हस्ब बख्वहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

राजीनामा पेश कर पक्षकारान् निवेदन करते हैं कि, दावा में वर्णित मौखिक बन्ट अनुसार दावा डिक्री किया जावे।

वाद के संलग्न, वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", जमाबन्दी ग्राम डाबगाँव सम्वत् 2070–2073 तक खेवट संख्या 92/80 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम डाबगाँव सम्वत् 2070–2073 तक खेवट संख्या 22/20 की प्रमाणित प्रतिलिपि, है।

विद्वान वकुलाय पक्षकारान् की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 04, 06 ता 08, राजीनामा पेश राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

दावा में वर्णित मौखिक बन्ट अनुसार पक्षकारान् दावा डिक्री करवाने में अपनी सहमति देते हैं। दावा का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। राजीनामा पक्षकारान् के परिप्रेक्ष्य व दावा में वर्णित पक्षकारान् मौखिक बन्ट के अनुसार खातेदारी घोषित किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, राजीनामा पक्षकारान के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, वादग्रस्त भूमि की वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", में दर्शित मुताबिक, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती हैः–

प्रार्थना वादी है कि–

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017 / 362
दायर दिनाँक 18.12.2017, निणर्य दिनाँक 29.12.2017
मजीज खाँ बनाम् चाँद खाँ, वगैरा।

1. शरहद किशनपुरा में खेत खसरा नम्बर 563 रकबा 30.08 बीघा में से रकबा 15.00 बीघा का वादी को तथा रकबा 15.04 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 को व रकबा 0.04 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 09 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. शरहद डाबगाँव में खेत खसरा नम्बर 22 रकबा 24.04 बीघा सम्पूर्ण का प्रतिवादी संख्या 08 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. शरहद डाबगाँव में खेत खसरा नम्बर 145 रकबा 47.07 बीघा में से रकबा 23.14 बीघा पूर्वी दिशा का वादी मजीद खाँ को व रकबा 23.13 बीघा पश्चिमी दिशा का प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. शरहद डाबगाँव में खेत खसरा नम्बर 336 रकबा 21.16 बीघा सम्पूर्ण का प्रतिवादी संख्या 07 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **29.12.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2017/362 दायर दिनाँक 18.12.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. मजीद खाँ पुत्र चाँद खाँ, उम्र–60साल, जाति–शेरानी आबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. चाँद खाँ पुत्र मीर खाँ, उम्र–92साल, 2. अजीज खाँ पुत्र जलाल खाँ, उम्र–65साल, 3. बिलाल खाँ पुत्र जलाल खाँ, उम्र–62साल, 4. मोहम्मद रफीक पुत्र जलाल खाँ, उम्र–48साल, 5. बिसमिल्ला पत्नी जलाल खाँ, उम्र–90साल, 6. जमील खाँ पुत्र चाँद खाँ, उम्र–62साल, 7. छोटु खाँ पुत्र चाँद खाँ, उम्र–58साल, 8. सुल्तान खाँ पुत्र चाँद खाँ, उम्र–50साल, समस्त,जाति–शेरानी मुसलमान, निवासी–शेरानी आबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. ग्राम पंचायत, छोटी खाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. यूको बैंक, शाखा–शेरानी आबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 11. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 29.12.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, अधिवक्ता, वादी व श्री नरेन्द्रसिंह, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 04, 06 ता 08 ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स"

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

के कर, वादग्रस्त भूमि की वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", में दर्शित मुताबिक, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

प्रार्थना वादी है कि–

1. शरहद किशनपुरा में खेत खसरा नम्बर 563 रकबा 30.08 बीघा में से रकबा 15.00 बीघा का वादी को तथा रकबा 15.04 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 को व रकबा 0.04 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 09 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. शरहद डाबगाँव में खेत खसरा नम्बर 22 रकबा 24.04 बीघा सम्पूर्ण का प्रतिवादी संख्या 08 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. शरहद डाबगाँव में खेत खसरा नम्बर 145 रकबा 47.07 बीघा में से रकबा 23.14 बीघा पूर्वी दिशा का वादी मजीद खाँ को व रकबा 23.13 बीघा पश्चिमी दिशा का प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. शरहद डाबगाँव में खेत खसरा नम्बर 336 रकबा 21.16 बीघा सम्पूर्ण का प्रतिवादी संख्या 07 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत.................
....–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **29.12.2017** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner